भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 648

03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: राष्ट्रीय कृषि नीति
648. श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश में जलवायु संबंधी असुरक्षा, आय असमानता और डिजिटल विभाजन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए नई राष्ट्रीय कृषि नीति, 2025 की प्रगति और प्रभावकारिता क्या है;
(ख) सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और वर्तमान में संस्थागत ऋण से बाहर रखे गए काश्तकार किसानों और सीमांत किसानों, जिन्हें वर्तमान में संस्थागत ऋण से बाहर रखा गया है, को लाभ पहुंचाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र सहित ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए क्या उपाय शुरू किए गए हैं;
(घ) सरकार, सतत और समावेशी कृषि विकास के लिए फसल विविधीकरण और कृषि-वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों के साथ किस प्रकार समन्वय कर रही है; और
(ङ) तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र राज्य का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): भारत सरकार द्वारा कोई नई कृषि नीति 2025 अधिसूचित नहीं की गई है। हालांकि, देश में जलवायु संबंधी असुरक्षा, आय असमानता और डिजिटल विभाजन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम लागू कर रही है, जिनका विवरण **अनुबंध -I** पर दिया गया है।

(ख): सरकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के मतों पर विचार करने के पश्चात कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की अनुशंसाओं के आधार पर, प्रतिवर्ष 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। एमएसपी की अनुशंसा करते समय, सीएसीपी भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों के संगत उपयोग को सुनिश्चित करते हुए उत्पादन लागत, समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मूल्य, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करती है। सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2018-19 में एमएसपी को उत्पादन लागत के न्यूनतम डेढ़ गुना के स्तर पर पूर्व-निर्धारित सिद्धांत के रूप में रखने की घोषणा की थी। तदनुसार, सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन पर निर्धारित किया गया है। विस्तृत जानकारी **अनुबंध-II** पर दी गई है।

(ग): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015-16 से परंपरागत कृषि विकास योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को न्यूनतम करना है। यह स्कीम जैविक खेती से जुड़े किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और विपणन तक संपूर्ण सहायता प्रदान करने पर बल देती है। स्कीमों का प्राथमिक लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण हेतु छोटे एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर बनाना है।

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीन वर्षों की अवधि में प्रति हेक्टेयर ₹31,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से ₹15,000 प्रति हेक्टेयर किसानों को सीधे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीएल) के माध्यम से ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म इनपुट की लागत को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। महाराष्ट्र में 31 दिसंबर 2025 तक पीकेवीवाई के तहत प्राप्त उपलब्धियों के अनुसार, लगभग 68,012 हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत शामिल किया गया है और इस स्कीम से 89,595 किसान लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2015-16 से पीकेवीवाई के तहत राज्य को कुल ₹160.93 करोड़ की केंद्रीय राशि जारी की गई है। इसके अलावा, वर्ष 2025-26 के दौरान महाराष्ट्र को ₹39.30 करोड़ का आवंटन किया गया था, जिसके लिए केंद्र सरकार की ओर से ₹17.64 करोड़ जारी किए जा चुके थे (31 दिसंबर 2025 तक)।

(घ) एवं (ङ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) की एक उप-स्कीम, फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। सीडीपी-धान प्रतिस्थापन घटक को वर्ष 2013-14 से मूल हरित क्रांति राज्यों हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किया गया है ताकि धान की खेती के स्थान पर दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती की जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, वैकल्पिक फसल प्रदर्शन, कृषि मशीनीकरण एवं मूल्यवर्धन, स्थल-विशिष्ट हस्तक्षेप और जागरूकता सृजन एवं क्षमता निर्माण से संबंधित आकस्मिक गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, फसल विविधीकरण कार्यक्रम को वर्ष 2015-16 से महाराष्ट्र सहित प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्यों में विस्तारित किया गया, जिसका उद्देश्य तंबाकू उत्पादकों को वैकल्पिक फसलों या फसल प्रणालियों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस विस्तार के अंतर्गत, राज्य अनुमोदित लागत मानदंडों के अनुरूप उपयुक्त गतिविधियाँ और पहल कर सकते हैं।

कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार वर्ष 2023-24 से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएमआरकेवीवाई) के अंतर्गत कृषि वानिकी केंद्र प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इससे पहले, महाराष्ट्र सहित 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 'हर मेढ़ पर पेड़' के नारे के साथ कृषि वानिकी उप-मिशन (एसएमएएफ) के तहत वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया गया था। एसएमएएफ स्कीम वर्ष 2022-23 से बंद कर दी गई है।

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि पर वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए नर्सरियों की स्थापना और उन्हें सुदृढ़ बनाना तथा किसानों और उत्पादकों के लिए स्वस्थ, सह्य और अनुकूलनीय नर्सरी स्टॉक के गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम) जैसे बीज, पौध, क्लोन, संकर और उन्नत किस्मों का उत्पादन करना है। यह स्कीम महाराष्ट्र सहित देश भर के अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। कृषि वानिकी स्कीम को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजनाओं को इस विभाग द्वारा अनुमोदित होने पर स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य नोडल एजेंसियां पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत कृषि वानिकी घटक को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं। महाराष्ट्र में सामाजिक वानिकी विभाग कृषि वानिकी को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है।

कृषि वानिकी के माध्यम से किसान ऑफ क्रॉप सीजन के दौरान परती भूमि पर फलदार वृक्ष, लकड़ी की प्रजातियाँ या चारा वृक्ष जैसे बहुउद्देशीय वृक्ष लगा सकते हैं। ये वृक्ष नियमित फसलें की खेती न होने की स्थिति में भी लकड़ी, फल, ईंधन की लकड़ी और चारे से आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करके भूमि का लाभकारी उपयोग करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, कृषि वानिकी मिट्टी की उर्वरता में सुधार, मिट्टी के कटाव को कम करने और जैव विविधता को बढ़ाने में योगदान देती है, जिससे भविष्य की फसलों के लिए भूमि की उर्वरता बनी रहती है या उसमें सुधार होता है। यह एकीकृत दृष्टिकोण किसानों की आय को पूरे वर्ष विविधतापूर्ण और स्थिर बनाता है, जिससे मौसमी फसलों पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है।

कृषि वानिकी, पीएम-आरकेवीवाई का एक घटक है और इसके लिए धनराशि, आरकेवीवाई प्रभाग द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की जाती है। यह स्कीम देश के अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नर्सरी की स्थापना और सुदृढ़ीकरण तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति जैसी गतिविधियों के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में किसानों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण भी किया जा रहा है।

महाराष्ट्र राज्य के लिए, वर्ष 2023-24 से 2024-25 की अवधि के लिए 6.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिनमें से 1.99 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। वित्तीय वर्ष (2025-26) के दौरान, पीएमआरकेवीवाई के तहत कृषि वानिकी घटक के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र राज्य को 8.34 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

अनुबंध I

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
5. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
13. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
15. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएच एंड एफ)
16. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
20. बीज एवं पौध रोपण सामग्री उप मिशन (एसएमएसपी)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

अनुबंध II

न्यूनतम समर्थन मूल्य
(मार्केटिंग सीजन वार) (₹/क्विंटल)

क्र. सं.	वस्तु	**केएमएस 2021-22**	**केएमएस 2022-23**	**केएमएस 2023-24**	**केएमएस 2024-25**	**केएमएस 2025-26**
	खरीफ़ फसलें					
1	धान (सामान्य)	1940	2040	2183	2300	2369
	धान (ग्रेड 'ए')	1960	2060	2203	2320	2389
2	ज्वार (संकर)	2738	2970	3180	3371	3699
	ज्वार (मालदांडी)	2758	2990	3225	3421	3749
3	बाजरा	2250	2350	2500	2625	2775
4	रागी	3377	3578	3846	4290	4886
5	मक्का	1870	1962	2090	2225	2400
6	अरहर	6300	6600	7000	7550	8000
7	मूंग	7275	7755	8558	8682	8768
8	उड़द	6300	6600	6950	7400	7800
9	कपास (मध्यम स्टेपल)	5726	6080	6620	7121	7710
	कपास (लंबा स्टेपल)	6025	6380	7020	7521	8110
10	मूंगफली	5550	5850	6377	6783	7263
11	सूरजमुखी के बीज	6015	6400	6760	7280	7721
12	सोयाबीन पीला	3950	4300	4600	4892	5328
13	तिल	7307	7830	8635	9267	9846
14	रामतिल	6930	7287	7734	8717	9537
	रबी फसल	**आरएमएस 2022-23**	**आरएमएस 2023-24**	**आरएमएस 2024-25**	**आरएमएस 2025-26**	**आरएमएस 2026-27**
15	गेहूं	2015	2125	2275	2425	2585
16	जौ	1635	1735	1850	1980	2150
17	चना	5230	5335	5440	5650	5875
18	मसूर	5500	6000	6425	6700	7000
19	तोरई और सरसों	5050	5450	5650	5950	6200
20	कुसुम	5441	5650	5800	5940	6540
	व्यावसायिक फसलें					
		2021-22	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
21	जूट	4500	4750	5050	5335	5650
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
22	कोपरा (मिलिंग)	10590	10860	11160	11582	12027
	कोपरा (गोल)	11000	11750	12000	12100	12500

नोट: केएमएस: खरीफ विपणन सीजन, आरएमएस: रबी विपणन सीजन

*****